प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र मिश्रा

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 86/2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदिका / वादिनी - श्रीमती देवकी बाई, पिता स्वर्गीय संतराम, आयु लगभग 48 वर्ष, जाति गोंड, निवासी ग्राम कोटा, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

अनावेदकगण

1. बलराम सिंह गोंड, पिता संतराम गोंड, आयु लगभग 43 वर्ष।
2. मनहरण सिंह, पिता संतराम गोंड , आयु लगभग 41 वर्ष।
3. पूरन सिंह, पिता भव सिंह गोंड, आयु लगभग 30 वर्ष।
4. श्रीमती हीरामती, पति संतराम गोंड, आयु लगभग 63 वर्ष।
5. श्रीमती मोतिन बाई, पति भव सिंह, आयु लगभग 63 वर्ष।

अनावेदक क्रमांक 1 से 5 सभी निवासी ग्राम बछेली खुर्द, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

6. छेड़ू, माता कुंजा बाई, आयु लगभग 50 वर्ष।
7. लखन, माता कुंजा बाई, आयु लगभग 40 वर्ष।
8. माखन, माता स्वर्गीय श्रीमती कुंजा बाई, आयु लगभग 30 वर्ष।

अनावेदक क्रमांक 6 से 8 सभी निवासी ग्राम खुर्दुर, नवापारा, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

9. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अंतर्गत सिविल पुनरीक्षण ज्ञापन

दिनांक : 02-02-2007

श्री भरत राजपूत, विद्वान अधिवक्ता, आवेदिका की ओर से।

अनावेदक क्रमांक 1 से 8 अनुपस्थित हैं, यद्यपि उन्हें समुचित तामील हो चुकी है तथा उनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री अखिल अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता, राज्य / अनावेदक क्रमांक 9 की ओर से।

यह सिविल पुनरीक्षण आज प्रवेश स्तर पर ही अंतिम रूप से निराकृत किया जा रहा है।

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि व्यवहार वाद क्रमांक 38-क/2001 को चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, श्रेणी-II द्वारा दिनांक 27-04-2001 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा निरस्त किए जाने पर, अपीलार्थी/वादिनी ने दिनांक 30-06-2001 को प्रथम अपील (सिविल अपील क्रमांक 60-क/2004) प्रस्तुत की। उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, उत्तरवादी क्रमांक 6 कुंजा बाई का दिनांक 20-01-2003 को निधन हो गया।

अपीलार्थी/वादिनी द्वारा दिनांक 09-09-2004 को विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर प्रस्तुत करने हेतु एक आवेदन, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विलंब क्षमा याचना आवेदन सहित प्रस्तुत किया गया। उसमें यह कहा गया कि अपीलार्थी एक गृहिणी है तथा हृदय रोग एवं अन्य व्याधियों से पीड़ित थी और उसे उत्तरवादी क्रमांक 6 कुंजा बाई की मृत्यु की जानकारी नहीं थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि अपील के उपशमन को निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुई विलंब को क्षमा करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम नाथ साओ उर्फ राम नाथ साहू और अन्य बनाम गोवर्धन साओ और अन्य, (2002) 3 सुप्रीम कोर्ट प्रकरण 195** में दिए गए निर्णय से पूर्णतः शामिल है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :—

> "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 9 अथवा किसी अन्य समान प्रावधान में प्रयुक्त 'पर्याप्त हेतुक' अभिव्यक्ति की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि जहाँ किसी

पक्षकार पर लापरवाही, निष्क्रियता अथवा दुर्भावना आरोपित न हो, वहाँ पर्याप्त न्याय को बढ़ावा मिल सके। किसी विशेष प्रकरण में प्रस्तुत स्पष्टीकरण 'पर्याप्त हेतुक' है या नहीं, यह उस प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगा। विलंब के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करने हेतु कोई कठोर एवं यांत्रिक सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता। तथापि, न्यायालयों को प्रस्तुत कारण में त्रुटि खोजने की प्रवृत्ति अपनाकर मात्र निराकरण की उत्सुकता में याचिका को सतही आदेश द्वारा निरस्त नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार करना सामान्य नियम होना चाहिए तथा अस्वीकृति अपवाद, विशेषतः तब जब दोषी पक्षकार के विरुद्ध कोई लापरवाही, निष्क्रियता अथवा दुर्भावना आरोपित न की जा सके। दूसरी ओर, न्यायालयों को इस तथ्य से भी दृष्टि नहीं हटानी चाहिए कि निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक कदम न उठाने से प्रतिपक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसे विलंब को साधारण रूप से क्षमा कर हल्के में पराजित नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु, अत्यधिक तकनीकी एवं संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर प्रस्तुत स्पष्टीकरण को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब प्रकरण में उच्च दांव हों तथा तथ्य एवं विधि के विवादास्पद प्रश्न सम्मिलित हों, जिससे संबंधित पक्ष को अत्यधिक हानि एवं अपूरणीय क्षति हो सकती हो और वाद का निर्णय गुण-दोष के आधार पर प्राप्त करने का उसका मूल्यवान अधिकार निष्फल हो सकता हो। ऐसे मामलों पर विचार करते समय न्यायालयों को यह संतुलन स्थापित करना आवश्यक है कि उनके आदेश का दोनों पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मिठाईलाल दलसांगर सिंह और अन्य बनाम। अन्नाबाई देवराम किनी और अन्य, (2003) 10 सुप्रीम कोर्ट प्रकरण 691 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :—

"न्यायालयों को न्यायोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसका सर्वोपरि विचार यह हो कि सामान्यतः किसी वादकारी को उसके वाद का गुण-दोष के आधार पर निर्णय प्राप्त करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसने घोर लापरवाही, जानबूझकर निष्क्रियता अथवा दुराचरण के समान किसी आचरण द्वारा स्वयं को न्यायालय की उदारता प्राप्त करने से वंचित न कर लिया हो।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों तथा प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर, मेरा यह सुविचारित मत है कि अपीलीय न्यायालय ने अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 4 तथा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत अपीलार्थी/वादिनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर गंभीर त्रुटि की है।अपीलार्थी/वादिनी एक गृहिणी है तथा विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, इसलिए उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि उसे उत्तरवादी क्रमांक 6 कुंजा बाई की मृत्यु की तत्काल जानकारी हो जाए तथा वह विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने हेतु तुरंत कार्यवाही कर सके। ऐसी स्थिति में, पर्याप्त न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित था।

उपरोक्त परिस्थितियों में, यह सिविल पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। सिविल अपील क्रमांक 60-क/2004 में अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर द्वारा दिनांक 13-01-2005 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 4 तथा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। अपीलार्थी/वादिनी मृतक उत्तरवादी क्रमांक 6 श्रीमती कुंजा बाई के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर रखी जाए।

तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपील का यथाशीघ्र निराकरण करेगा। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही/-

(दिलीप रावसाहेब देशमुख)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur